



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-16072021-228332
CG-DL-E-16072021-228332

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2635]
No. 2635]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 15, 2021/आषाढ़ 24, 1943
NEW DELHI, THURSDAY, JULY 15, 2021/ASHADHA 24, 1943

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 जुलाई, 2021

का.आ. 2840(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 3 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नीचे दी गयी अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट नव प्रस्तावित दिल्ली- लुधियाना- अमृतसर-कटरा एक्सप्रेसवे के किमी. 554 किमी. से 567 किमी तक के भुखण्ड के संबंध में उक्त राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन हेतु उक्त अधिनियम के अधीन सक्षम प्राधिकारी के कृत्यों का पालन करने के लिए इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत करती है।

अनुसूची

जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में नव प्रस्तावित दिल्ली- लुधियाना -अमृतसर-कटरा एक्सप्रेसवे की भूमि का अर्जन।

क्रमिक संख्या	सक्षम प्राधिकारी	भूमि का विवरण	राज्य	जिले का नाम	तालुक का नाम	गांव का नाम
1	2	3	4	5	6	7
1	उपायुक्त रियासी	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या Newly Proposed के कि.मी. 554 से 567 तक	जम्मू और कश्मीर	रियासी	कटरा	1 परथल

[फा. सं. NHAI/PIU-Ramban/2019-21/11006]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th July, 2021

S.O. 2840(E).—In exercise of powers conferred by clause (a) of section 3 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby authorizes the officers mentioned in column (2) of the Schedule annexed here to as the competent authorities to perform the functions of such authorities under the said Act with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in respect of the stretch of land from Km. 554 to Km. 567 Newly Proposed in the stretch of land from Delhi-Ludhiana-Amritsar-Katra Expressway for building (widening / four-laning, etc.), maintenance, management and operation in the UT of JAMMU & KASHMIR

SCHEDULE

Land acquisition on NH No. Newly Proposed in the stretch of Delhi-Ludhiana-Amritsar-Katra Expressway in the UT of JAMMU & KASHMIR

Sl. No.	CALA	Stretch	State	District	Taluk/Mandal	Name of the Village
1	2	3	4	5	6	7
1	Deputy Commissioner Reasi	554KM To 567KM	JAMMU & KASHMIR	Reasi	Katra	1 Parthal

[F. No. NHAI/PIU-Ramban/2019-21/11006]

RAJESH GUPTA, Director